विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 266/वि0स0/संसदीय/203(सं)/2016

दिनांक : 08 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री ओम कुमार, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को दायर की गयी याचिका पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2017 को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है :–

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री गया चरण दिनकर द्वारा श्री ओम कुमार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका पर

निर्णय

1. श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 सपठित संविधान की दसवीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 191(2) के अन्तर्गत श्री ओम कुमार सदस्य विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है।
2. याची द्वारा यह अभिकथित किया है कि विपक्षी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सभा का चुनाव लड़ा था तथा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नहटौर विधान सभा क्षेत्र, जिला–बिजनौर से उ0प्र0 की 16वीं विधान सभा सदस्य चुना गया था, जिसकी अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा दिनांक पर 6 मार्च, 2012 को जारी किया गया था। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इसे निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. याची द्वारा अभिकथित किया है कि ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2(1)(क) में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई सदन का सदस्य जिस पार्टी के टिकट पर चुना गया है यदि उस पार्टी से स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो वह विधान सभा का सदस्य होने से निरर्ह हो जायेगा। ***''दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता***–*(1) [पैरा 4 और 5] के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा– (क) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की, जिसका वह सदस्य है, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, या''*

4. याची द्वारा यह अभिकथित किया है कि विपक्षी जो कि उत्तर प्रदेश 16वीं विधान सभा में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदस्य विधान सभा चुने गये थे, उन्होंने स्वेच्छा से दिनांक 12 सितम्बर, 2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, जिसकी खबर दिनांक 13 सितम्बर, 2016 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा याची द्वारा समाचार की छाया प्रति संलग्न की गई है।

5. याची द्वारा यह अभिकथित किया है कि विपक्षी श्री ओम कुमार दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में शिरकत करते रहे हैं और समय–समय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान भी देते रहते हैं।

6. याची द्वारा यह भी अभिकथित किया है कि ऊपर लिखे तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी ने अपनी स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी जो कि उसकी मूल राजनैतिक दल था क्योंकि वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, की सदस्यता 12 सितम्बर, 2016 को छोड़ दी है। अतः वह दिनांक 12 सितम्बर, 2016 से भारत का संविधान के दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह हो चुका है तथा अब उसे विधान सभा के सदस्य के रूप में कोई भी वेतन भत्ते आदि कोई भी लाभ दिनांक 12 सितम्बर, 2016 से अनुमन्य नहीं है।

7. याची अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता है कि विपक्षी श्री ओम कुमार के विधान सभा सदस्य से निरर्हित सम्बन्धी प्रश्न पर उ0प्र0 विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेते हुए, विपक्षी श्री ओम कुमार को संविधान के दसवीं अनुसूची सपठित अनुच्छेद 191(2) के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता दिनांक 11 अगस्त, 2016 से निरर्ह घोषित करें कि वह दिनांक 11 अगस्त, 2016 से विधान सभा सदस्य के रूप में किसी भी सुविधा, भत्ता आदि हेतु अर्ह नहीं रहेंगे। या कोई अन्य उचित आदेश जो मा0 अध्यक्ष उचित समझें उसे भी पारित करें।

8. विपक्षी श्री ओम कुमार द्वारा दिनांक 02-01-2017 को न्यायहित में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान करने की प्रार्थना की गई। न्यायहित में उन्हें अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया।

9. याचिका पर सुनवाई हेतु दिनांक 07-03-2017 की तिथि निर्धारित की गई।

10. याचिका पर दिनांक 07-03-2017 को सुनवाई प्रारम्भ हुई याची तथा उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए विपक्षी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। याची तथा विपक्षी के अधिवक्ताओं द्वारा अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

11. विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा अपने उत्तर में यह कहा गया है कि याचिका के प्रस्तर 2 एवं 3 में वर्णित तथ्य उत्तरदाता को स्वीकार है। यह सत्य है कि विपक्षी आम चुनाव 2012 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और निर्वाचित घोषित किया गया।

12. विपक्षी के उत्तर में यह कहा गया है कि यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में उत्तरदाता ने पार्टी के किसी लिखित अथवा मौखिक निर्देश की अवहेलना नहीं की है, न पार्टी के हित के विरूद्ध किसी अन्य दल के पक्ष में सदन के अन्दर मतदान ही किया है। याची ने इस आशय का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि विपक्षी ने स्वेच्छया से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। याचिका के आधार पर उत्तरदाता विपक्षी को विधान सभा की सदस्यता के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के नियम-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। अतः उत्तरदाता को याचिका के प्रस्तर-5 के कथन से इन्कार है।

13. याचिका पर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष/उत्तर प्रेषित नहीं किया गया जो इस बात का परिचायक है कि विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। याची के अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त याचिका पर निर्णय सुरक्षित किया गया।

14. मैंने पत्रावली पर सुसंगत अभिलेखों तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया। याची द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर विपक्षी को दसवीं अनुसूची के प्रस्तर-2(1)(ए) के अन्तर्गत निरर्ह घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया कि उन्होंने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता त्याग दी है तथा प्रतिपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है। इस आशय की खबर दिनांक 13-09-2016 के दैनिक समाचार पत्रों में छपी है। याची द्वारा याचिका के प्रस्तर-6 में यह कहा गया है कि विपक्षी श्री ओम कुमार ने दिनांक 13-09-2016 को लखनऊ में

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री विद्यासागर गुप्ता तथा मुख्य प्रवक्ता श्री हृदय नारायण दीक्षित के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

15. भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रगति के दौरान यह अनुभव किया गया कि दल–बदल के कारण परिपक्व लोकतंत्र की प्रगति में बाधा आ रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की विचारधारा के आधार पर उसके सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो उससे यह अपेक्षित है कि वह उस दल की विचारधारा के अनुसार प्रतिबद्धता रखते हुए कार्य करेगा। मतदाता किसी प्रत्याशी को उसके दल के परिप्रेक्ष्य में मतदान करता है, अतः यदि निर्वाचित होने के पश्चात् कोई सदस्य दल–बदल करता है तो वह जनता के साथ धोखा है। दल–बदल की प्रथा अलोकतांत्रिक है क्योंकि यह निर्वाचन के परिणामों को नकारती है। इसके अतिरिक्त, दल–बदल के कारण कई बार सरकारों की अस्थिरता भी उजागर हुई जोकि जनहित के विपरीत है। इन्हीं सब उद्देश्यों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में बावनवें (52वें) संशोधन का समावेश किया गया जिससे कि दल–बदल की प्रथा को रोका जा सके। संविधान की दसवीं अनुसूची में ऐसे विभिन्न आधार प्राविधानित किये गये जिनके उत्पन्न होने से सदन के निर्वाचित सदस्यों की निरर्हता घोषित की जा सके। प्रारम्भ में एक–तिहाई सदस्यों के समूह तक के दल–बदल को मान्यता प्रदान करते हुए संरक्षित किया गया, परन्तु समय के साथ यह अनुभव किया गया कि इससे भी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, अतः अंततः दल–बदल को पूर्णतया असंवैधानिक घोषित किया गया। दल–बदल कानून के संविधान में तद्नुसार समावेश के पश्चात् यदि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं का त्वरित निस्तारण नहीं किया जाता तो संविधान की योजनाओं में निहित प्राविधानों का हनन होगा एवं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं होगी। तद्नुसार दसवीं अनुसूची में प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण के विषय में अनावश्यक विलम्ब किया जाना असंवैधानिक है एवं दसवीं अनुसूची के उद्देश्यों के विपरीत है तथा संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

16. मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के अभिप्राय तथा उद्देश्यों एवं उसमें निहित मन्तव्यों को **"किहोटोहोलोहान एआईआर 1993 एससी 412"** के प्रकरण में निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया हैः–

"...these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process. A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme. A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2(1)(a) proceed on the premise that political propriety and morality

demand that if such a person, after the election, changes his affiliation and leaves the political party which had set him up as a candidate at the election, then he should give up his membership of the legislature and go back before the electorate.”

17. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में **‘किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2 एस0सी0सी0’** के मामलों में पारित निर्णयों के अंतर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

18. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **डा0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह प्रति चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल एवं अन्य (2004, 8 एससीसी 747)** के मामले में सभापति अथवा अध्यक्ष की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत भूमिका परिभाषित की गई है एवं यह अवधारित किया गया है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत सभापति अथवा अध्यक्ष निरर्हता के प्रश्न पर विनिश्चय करते समय स्वविवेक धारित नहीं करते हैं वरन् उनकी भूमिका प्रकरण के वर्णित तथ्यों को एकत्र करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने की होती है। प्रमाणिक रूप से प्रकरण के सम्बन्धित समस्त तथ्यों के विषय में समाधान हो जाने पर अध्यक्ष अथवा सभापति दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्राविधानों को प्रकरण के तथ्यों के विषय में लागू करते हुए अपना निर्णय प्रदान करेंगे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

“Paragraph 6 says that where any question arises as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule, the same shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of the House and his decision shall be final. Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1), (2) or (3) of Paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect.”

19. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558)** में पारित निर्णय के अंतर्गत समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जोकि निम्नवत् है–

"As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D'Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D'Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (I) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D'Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार–पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचना से यह स्पष्ट है कि श्री ओम कुमार द्वारा दिनांक 12–09–2016 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप उन्होंने स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को तत्समय स्वेच्छा से त्याग दिया था। अतः श्री ओम कुमार को दिनांक 12–09–2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह माना जायेगा।

20. माननीय **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0सी0 1305, 2007)** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैं।

"As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, The fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indertiminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted."

21. भारत का संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाहित किया गया था जिसका कि मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार जिस दल से प्रत्याशी निर्वाचित होता है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रति यदि वह आस्था अथवा प्रतिबद्धता प्रकट करता है तो वह उपयुक्त नहीं है। जैसाकि रवि एस0 नायक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका है। निरर्हता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आचरण के अवधारित पर आधारित हो सकता है। अतः

श्री ओम कुमार को 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरर्हता से ग्रसित माना जायेगा।

22. उपर्युक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य जिस दल से निर्वाचित हुआ है उसके अतिरिक्त किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह निरर्हता से ग्रस्त होगा, चूंकि श्री ओम कुमार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिनांक 13-09-2016 को ग्रहण कर ली है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं। वर्णित स्थिति में श्री ओम कुमार के मामले में 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं तद्नुसार वह उसी दिनांक से निरर्ह मानें जायेंगे, जिस दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

23. प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के रूप में याची द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों की प्रतियॉं प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा-2 दल परिर्वतन के आधार पर निरर्हता-(1) पैरा-4 और पैरा-5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हरित होगा जिसमें-(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख).............

चूंकि श्री ओम कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री ओम कुमार द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को त्याग दिया है। अतः श्री ओम कुमार के सम्बन्ध में 'भारत का संविधान' की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर (2)(1)(क) में वर्णित प्रावधान आकर्षित होते हैं एवं इसके फलस्वरूप श्री ओम कुमार 16वीं विधान सभा की सदस्यता से उस दिनांक से निरर्हित माने जायेगें जिस दिनांक से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुये।

24. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री ओम कुमार दिनांक 12-09-2016 से निरर्ह मानें जायेंगे, क्योंकि उसी दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस आशय का समाचार दिनांक 13-09-2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे कि यह स्पष्ट है श्री ओम कुमार द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी गयी। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्री ओम कुमार के सम्बन्ध में भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2 के

प्राविधान आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप श्री ओम कुमार दिनांक 12–09–2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गये।

आदेश

श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री ओम कुमार, सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र–21, नहटौर, जनपद–बिजनौर को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–2(1)(क) के अन्तर्गत दिनांक 12–09–2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

दिनांक : 08 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार जोशी,
विशेष सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 266(1–19)/वि0स0/संसदीय/203(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितः–

1. महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,
2. मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4. श्री गयाचरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5. समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
6. श्री ओम कुमार, ग्राम व पोस्ट महेश्वरी जट, जनपद–बिजनौर,
7. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
9. प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश,
10. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग–1,
11. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
12. सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
13. सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,

14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15. महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
16. महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
17. प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त राज्य विधान सभा/परिषद्,
18. जिलाधिकारी, बिजनौर,
19. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी गण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 317 विधान सभा (503)-10-03-2017-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।